

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- मण्डला जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अन्तर्गत पदमी-रामनगर-घुघरी-
सलवाह मार्ग उन्नयन/निर्माण हेतु 5.445 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 5.70 हे.)
वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक/6-MPR 026/2022-BHO दिनांक 26.06.2023.

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति
पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रु0 55,96,504/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 03.08.2023 को जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी-2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 52,15,112/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 03.08.2023 को जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि दिनांक 03.08.2023 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, मण्डला का प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

7- शर्त क्रमांक (7 से 9 तक) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

8- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

9- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत आपको पृथक से प्रेषित की जावेगी।

शर्त-B

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4- शर्त क्रमांक (4) से (15) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 15-2-24

पृ. क्रमांक/एफ-5/1150/2022/10-11/1051
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पूर्व मण्डला, मध्यप्रदेश।
 3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल